न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः—145/2017 (2017/00144)/223/ ब्यावर

1.हरी सिंह पुत्र बुद्धा सिंह
2.महेन्द्रसिंह पुत्र बुद्धासिंह
3.दिनेश सिंह पुत्र विजयसिंह
4.अनिल सिंह पुत्र पुत्र विजयसिंह
5.देवी सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र बलवीरसिंह
6.श्रीमती राधा
7.श्रीमती सुमन
8.श्रीमती कमला पुत्रियॉ बलवीरसिंह जाति रावत
9 श्रीमती लाली पत्नी बलवीरसिंह
10.आनन्दसिंह पुत्र बुद्धासिंह निवासी ग्राम नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर । जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नी पुष्पेनद्र सिंह जाति रावत निवासी नरबददेखड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
3. उप—पंजीयक अधिकारी, कार्यायल तहसील परिसर ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017, वाद संख्या 25/2013 उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर ।

उपस्थितः—

1. श्री अशोक अग्रवाल एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश आचार्य एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 03से 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 9.10.18

अपीलांट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा वाद संख्या 25/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

01. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादि /रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर की जमाबंदी सम्वत 2069—2072 के खाता संख्या 17 में स्थित आराजियात खसरा नम्बर 148, 151, 212, 346, 772, 773, 776, 777, 783, 795/1, 828, 829, 830/1, 830/2, 832, 833, 834, 835, 835/1540, 936, 837, 839, 839/1541, 843, 845, 888, 920, 972, 1019, 1024, 1040/1, 1040/2, 1041, 1062, 1099, 1100, 1112, 1139/1, 1139/2, 1141, 1142, 1143,1144, 1145 1394, 1395, 1396, 1406, 1437 कुल किता 54 रकबा 53—17—10 बीघा में वादिया के ससुर कालूसिंह पुत्र बुद्धा सिंह की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पुश्तेनी भूमियॉ हैं जो वादिया को कालूसिंह ने अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की 1/6 हिस्से की भूमियॉ बेचान कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 602 दिनांक 21.11.2012 में विक्रेता वादिया के ससुर कालूसिंह के स्थान पर वादिया का नाम इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किया जा चुका हैं। उक्त बेचान के बाद वादिया ही उक्त 1/6 हिस्से में बिना किसी उजर एतराज के प्रतिवादी की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग करती चली आ रही हैं। सभी संयुक्त खातेदारान का हिस्सा अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा नहीं होने से ये सभी मौके पर प्रतिवादी संख्या 01से 010 विवाद कर वादिया के 1/6 हिस्से पर दखलदांजी करते हुए उस पर काबिज होने पर आमादा हैं तथा मौके पर अपने हिस्सों को खातेदारान द्वारा बेचान करने व वादिया के हिस्से को भी खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। वादिया ने वादग्रस्त भूमि का मौके पर बंटवारा कराने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण की नियत बद हो गई तथा वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द व बेचान करने की धमकी देने लगें।इस कारण से वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और अनुतोष मांगा गया कि वादिया के हक के 1/6 हिस्सा घोषित करते हुए अपने –अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करवाकर काबिज करावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र का दिनांक 09.06.2017 को निस्तारण कर दिया, जिससे असतुंष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

02. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।xx

03. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 जो प्रस्तुत की गई है वह केवल गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई जो अपीलांट की अनुपस्थिति में बनायी गयी हैं । मान्नीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। मान्नीय मण्डल के नियमानुसार विवादित आराजी पर तहसीलदार द्धारा दोनो पक्षों को प्रापर नोटिस देकर एवं दोनो पक्षों की उपस्थिति में कब्जे एवं मौके के आधार पर ही मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए जो नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रोड़ के पास वाली भूमि खसरा नम्बर 471, 473, 830, 845, 1041, 1041 एवं 1145 जो की मंहगी हैं वो बंटवारा में रेस्पोडेन्ट को दी है जिन पर उनका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 को निरस्त किया जाकर एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावें की वे मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करवायें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.बी.जे. (24)2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

04. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस कथन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात को वादिया ने अपने ससुर कालूसिंह पुत्र बुद्धा सिंह की पुश्तैनी भूमियॉ हैं जिस पर वादिया को कालूसिंह जी अपने 1/6 हिस्से में अपने पूर्वजो के उक्त आराजीयात में जो कि उनकी स्वामित्व व सयुंक्त खातेदारी की भूमियॉ हैं उन पर कब्जे काश्त करते चले आ रहे थे तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जिन्होने वादिया को नामान्तकरण संख्या 602 दिनांक 21.11.2012 बेचान से सम्पूर्ण खाते में विक्रेता वादिया के ससुर कालूसिंह ने अपने 1/6 हिस्सा को वादिया को बेचान कर दी तब से लेकर उक्त भूमियों में से 1/6 हिस्से की वादिया ही एक मात्र मालिक व अधिकारिणी होकर कब्जे काश्त करती चली आ रही हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 ने एकराय होकर वादिया को ऐलानिया धमकी देने लगे कि वादग्रस्त भूमियॉ हमारे नाम चली आ रही हैं इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमियों को हम बेचान व खुर्द–बुर्द करते रहेगें तब वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को समाज के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने की कौशिश की लेकिन प्रतिवादीगण इन्कार हो गये कि हम मौके पर बाहमी बंटवारा नहीं करवायेगें इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया हैं वह विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये जाने वक्त अपीलांटस मौके पर उपस्थित थे किन्तु अपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं इस प्रकार मौका रिपोर्ट की उनको जानकारी थी। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.12.2017 के अनुसार भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 772, 773, 830/1, 820/2, 1040/1, 1040/2, 1041, 1145, 845, 888, पर श्रीमती गंगा पत्नि पुष्पेन्द्रसिंह का हल चलाकर कब्जा होना बताया गया हैं। इस प्रकार अपीलांटस का यह कहना कि बंटवारें में रोड़ साईड की भूमि रेस्पोडेन्ट को दी गई जो बिल्कुल गलत हैं। विवादित आराजी पर वादिया का कब्जे काश्त हैं जो मौका रिपोर्ट से साबित हैं इसलिए मौका रिपोर्ट बिल्कुल सही हैं व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया हैं इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, ब्यावर, गिरदावर एवं पटवारी हल्का की मौजूदगी मे ही मौका रिपोर्ट तैयार की हैं एवं मौके पर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04 व 10 उपस्थित हुए है इस प्रकार अपीलांट का यह कहना भी गलत है कि मौका रिपोर्ट हमारे अनुपस्थिति बनायी गई हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

05. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों एवं प्रस्तुत नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान द्धारा की गई बहस के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा मंगवाई मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 को आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई जो तहसीलदार, ब्यावर को प्रेषित की गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर डिक्री पारित की हैं। जिस प्रकार की कमिश्नर की रिपोर्ट एवं उसके साथ आई. एल.आर. की रिपोर्ट रही हैं उसको देखते हुए इस मामले में पक्षकारों को सुने बिना कोई भी अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करना ठीक नही कहा जा सकता और इन परिस्थितियों में विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार का अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह पूर्ण रूप से अनुचित एवं गैर कानूनी प्रतीत होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 निरस्त योग्य हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर लार्जर बैंच 2017 आर.बी.जे. पेज 299 के निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की जाकर पुनः निर्णय पारित करें।

06. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.6.2017 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे तहसीलदार, ब्यावर से कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त करके

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उचित कार्यवाही आगे काननू सम्मत तरीके से करें व तत्पश्चात वे दोनो पक्षों को सुनकर अपना अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित नहीं की जाती हैं तब तक विवादित आराजी की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें तथा मौके बाबत् उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता हैं कि एक –दूसरे के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

9/10/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. आज दिनाक 9.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

9/10/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर